⇒ Thursday

Test - 50 प्रश्न

प्रस्तावना भाग-1, भाग-2,
भाग-3, भाग-4, मौलिक कर्तव्य

KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

भारत शासन अधि- 1935 का
अनुदेश पत्र

⇓

राज्य के नीति निदेशक तत्व
Directive Principles of State Policy

DPSP

भाग-4 अनु. 36 -51
Part-4 Art. 36 -51

भाग - 3 और भाग - 5
↳ गेनवेल ऑस्टिन
↳ मूल अधिकार
↳ Pt- नेहरू

भाग-5

राज्य के नीति निदेशक तत्व Directive Principles of State Policy

नेअपना DPSP स्पेन

- इसे आयरलैंड से लिया गया है। It has been taken from Ireland.
- इसका उद्देश्य राज्य को कल्याणकारी बनाना है। Its objective is to make the state welfare-oriented. → अर्थिक सुधार, अवसर की समानता से
- यह राज्यों के शासन करने का अधिकार है। It is the right of the states to govern.
- इसे राज्यो के द्वारा अपनी सुविधानुसार लागु किया जायेगा। It will be implemented by the states as per their convenience.
- K T शाह के अनुसार "यह ऐसे बैंक का चेक है जिसे "बैंक अपनी सुविधानुसार अदा करेगा"। According to KT Shah, this is a check of such a bank which the bank will pay as per its convenience.

•इसे बड़े लोगो का बोल कहते है , क्योकि इसमें गांधीवाद ,समाजवाद और उदारवाद है।
•It is called the speech of big people because it contains Gandhism, socialism and liberalism.

DPSP महात्मा गाँधी P.L.J.L.नेहरु B.R.अम्बेडकर

•यह भारतीय संविधान का पुष्प है। This is the flower of the Indian Constitution.

•यह सकारात्मक है लेकिन वाद योग्य नहीं है। This is positive but not debatable.

•DPSP के हनन पर न्यायालय नहीं जा सकते। Cannot go to court on violation of DPSP.

→•मिनर्वामिल्स मामले में 42 CAA 1976 के द्वारा DPSP को मूलाधिकार पर बरियता दिया गया है। In the Minarwa Mills case, DPSP has been given priority over fundamental rights by 42 CAA 1976.

अनु. 36 - राज्य को परिभाषित किया गया है। State is defined. → अ० - 12 में.

राज्य → संघ की संसद → संघ की सरकार → कर्मचारी
राज्य → राज्य का विधानमण्डल → राज्य की सरकार → प्राधिकरण

अनु. 37 - राज्य के नीति निदेशक तत्व को राज्यों के द्वारा लागू किया जायेगा। यह न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। राज्य अपने विधि निर्माण में इसका प्रयोग कर सकेगा। The Directive Principles of State Policy will be implemented by the states. It is not enforceable by the court. The state will be able to use it in its law making. (DPSP)

(स्थापना / लागू)

अनु. 38 – राज्य को कल्याण कारी बनाने के लिए अवसर की असमानता तथा आर्थिक असमानता को समाप्त किया।

(1) राज्य एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। The State shall endeavor to promote the welfare of the people by securing and preserving a social order which ensures social and economic justice.

(2) राज्य, विशेष रूप से, आय में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और अवसरों में असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करेगा। The State shall, in particular, endeavor to reduce inequalities in income, and endeavor to eliminate inequalities in opportunities.

अनु. 39 - राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत- Some principles of policy to be followed by the state-

a. नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार है। Citizens, men and women alike, have the right to an adequate means of livelihood.

b . समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाता है कि सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम हो। Ownership and control of the material resources of the community are distributed in a manner that best serves the common good.

c. आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणामस्वरूप सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं होता है। The operation of the economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the general detriment.

d. पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है। There is equal pay for equal work for both men and women.

e. पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत, और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता से उनकी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। The health and strength of men and women, and the tender age of children, are not abused and citizens are not forced by economic necessity to enter into occupations unsuited to their age or strength.

f. बच्चों के लिए निःशुल्क टीकाकरण का प्रावधान। Provision of free vaccination for children.

→ BCG → डिप्थीरिया, पोलियो

अ॰ 39-A : गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता

ग्रा. पंचायत अधि॰ : अनुसूचित क्षेत्रों का प्रावधान → पेसा (PESA) 1996

अनु. 40 - पंचायतों का गठन- Formation of Panchayats-

राज्य पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। The State shall take steps to organize Panchayats and confer on them such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government.

शहरी और ग्रामिण दोनों के लिए।

शहरी
- नगर पंचायत
- नगर पालिका
- नगर निगम

ग्रामिण
- प्रधान
- ब्लॉक प्रमुख
- जिला अध्यक्ष

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING